जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड

CIN: U40109RJ2000SGC016489

पंजीकृत कार्यालय विधुत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

Website.WWW.Jaipurdiscom.com

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर

(फोन नं. 0141–2200334, फैक्स नं. 0141–2202241)

E-Mail:serejvvnl@yahoo.co.in

क्र. जे.पी.डी./मु.अ.(प्रोजेक्ट्स)/ अधी.अभि.(आर.ई)/अधि.अभि.(एस.पी.पी)/प. / प्रे. 821 दिनांक 7/7/17

अधीक्षण अभियन्ता (पवस/ज.जि.वृ.),
जयपुर डिस्कॉम,
अलवर/भरतपुर/धौलपुर/दौसा/करौली/जयपुर
/झालावाड/बांरा/कोटा/बूंदी/सवाईमाधौपुर /टौंक

विषयः– ''सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना'' में प्रावधान व आवेदन पंजीकरण के सम्बन्ध में।

इस योजना में सौर ऊर्जा पम्प कृषि कनेक्शन उन कृषि आवेदकों को देय होगा, जो विद्युत निगमों की सामान्य कृषि श्रेणी में 3 एच.पी./5 एच.पी. के लिए दिनांक 1 मार्च, 2010 से 31 दिसम्बर, 2013 तक पंजीकृत है।

दिनांक 31.12.2013 के बाद पंजीकृत आवेदक एवं नये आवेदक जो इस योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प स्थापित करना चाहते है वे आवेदक भी सामान्य श्रेणी में पंजीकरण कराने के पश्चात् इस योजना का लाभ उठा सकते है। उक्त आवेदको को "सोलर पम्प कृषि" कनेक्शन योजना" के अन्तर्गत सोलर पम्प इन आवेदको की सामान्य श्रेणी के वरियता के अनुसार ही स्थापित किया जावेगा।

1. यह योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है एवं प्रथम चरण में 10,000 सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगें।
2. इस योजना हेतु पंजीकरण दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक किया जायेगा।
3. सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदक रूपये 1000/– जमा करा कर इस योजना में पंजीकरण हेतु विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में आवेदन कर सकेगें। मांग के अनुसार स्वेच्छा से पूर्व में आवेदित 3 एच.पी. पत्रावली को 5 एच.पी. विद्युत

भार के लिए भी बदल सकेंगे। इस योजना में पंजीकरण हेतु ली जाने वाली राशि रूपये 1000/– को आवेदक को जारी होने वाले मांग पत्र में समायोजित किया जायेगा।

4. इस योजना में आवेदन करने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय मे अप्रभावित रहेगीं। सौर ऊर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदन की वरीयता सूची से स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।

5. इस योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि एवं शेष 40 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

6. आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित किये जावेंगे।

7. उपरोक्त सौर ऊर्जा पम्प सेटों का निःशुल्क रख–रखाव व बीमा 5 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जावेगा। जिसके लिए कंपनी द्वारा कॉलसेन्टर की भी व्यवस्था की जावेगी, जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका तत्वरित समाधान करा सकेंगे।

योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रारुप परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है व अनुरोध है कि आपके अधीन सभी सहायक अभियन्ताओं को भिजवा कर प्राप्त पंजीकृत आवेदको की पूर्ण सूचना नियमित रुप से उपखण्डवार इकजाई कर सूचना प्रत्येक सप्ताह इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डी.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (आर.ई)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपिः— 1. मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट्स) जयपुर डिस्कॉम,जयपुर
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन/भरतपुर जोन/कोटा जोन) जयपुर डिस्कॉम जयपुर
3. प्रा.स. प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
4. प्रा.स.निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम), अजमेर/जोधपुर डिस्काम, अजमेर/जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं चाही गई सूचना अपने स्तर पर इकजाई कर अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को भेजना सुनिश्चित करे।

7/2/17

अधीक्षण अभियंता (आर.ई)

पंजीकरण प्रार्थना पत्र

सहायक अभियन्ता

__________ __________(उपखण्ड का नाम)

____________________(वृत का नाम)

____________________(डिस्कॉम का नाम)

विषयः– एस.पी.वी आधारित वाटर पम्प स्थापित करने हेतु "सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना" में पंजीकरण।

महोदय,

मैंने दिनांक .... को 3 एच.पी / 5 एच.पी कृषि विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था। मै सोलर पी.वी आधारित पम्प सेट सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना के अन्तर्गत अपनी पत्रावली को परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं।

1.	आवेदन कर्ता का नाम	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	आवेदक की श्रेणी SC/ST/Gen	
4.	क्या कृषक जनजाति उपयोजना क्षेत्र अथवा सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों का अनुसूचित जनजाति / सामान्य श्रेणी का आवेदक है।	
5.	ग्राम / ग्राम पंचायत	
6.	पोस्ट ऑफिस	
7.	पिनः कोड	
8.	पंचायत समिति	
9.	तहसील	
10.	जिला	
11.	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	
12.	खसरा नम्बर (संलग्न दस्तावेज)	
13.	सिंचाई का स्रोत	(कुंआ / ट्यूब वैल / डिग्गी)
14.	वर्तमान जल स्तर (मीटर में)	
15.	पत्रावली दिनांक (मूल आवेदन दिनांक)	
16.	मूल पत्रावली अनुसार मोटर क्षमता	3HP/5HP
17.	सोलर पम्प सेट हेतु मोटर क्षमता	3HP/5HP
18.	निकट्तम रेलवे स्टेशन / बस अड्डा	
19.	आधार नम्बर यदि हो तो	
20.	भामाशाह नम्बर, यदि हो तो	
21.	टेलीफोन / मोबाईल नम्बर	
22.	पंजीकरण शुल्क रु 1000 / –	रसीद नम्बर – दिनांक –

1. मै यह शपथ लेता हूँ कि मै त्रिपक्षिय समझौते पर हस्ताक्षर करुंगा जो कि डिस्कॉम, क्रियान्वन करने वाली संस्था एवं मेरे बीच मे होगा।

2. मै त्रिपक्षिय समझौते में उल्लैखित सभी शर्तो का पालन करुंगा और सोलर पी.वी पम्प सेट लगाने में पूर्ण सहयोग करुंगा।

3. मै मेरे हिस्से की शेष राशि को मांग पत्र जारी होने के पश्चात् निर्धारित अवधि मे जमा करा दूगां।

4. मै इस तथ्य से पूर्ण रुप से अवगत हूं कि मेरे द्वारा मेरे हिस्से की शेष राशि निर्धारित समयावधि मे जमा नहीं करवाने पर मेरी प्राथमिकता हटा दी जायेगी एवं किसी अन्य को आंवटित कर दी जायेगी।

5. मै इस तत्थ से पूर्ण रुप से अवगत हूँ की सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदन की वरियता, सूची से स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

धन्यवाद

आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन कर्ता का नाम

दिनांक

संलग्नः

(अ) स्वयं द्वारा सत्यापित खसरे नम्बर का दस्तावेज

(ब) स्वयं द्वारा सत्यापित सिंचाई के स्त्रोत का दस्तावेज

(स) आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि यदि है तो